

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 226

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2023-02092

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "गोकुलधाम", प्रमोटर-ओम साई बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स,
द्वारा-श्री प्रवीण अग्रवाल, पता-एम.जी. रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"गोकुलधाम" रामपुर बड़े, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/10/2024	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी से उनके निष्पादन प्रकरण क्रमांक-EXE-SM-EXP-2023-02092 के आदेश पत्र की छायाप्रति सहित प्राप्त, अवलोकन किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि 1,00,000/- को अनावेदक द्वारा दिनांक 26.07.2024 को जमा कर चालान की प्रति पेश करने के फलस्वरूप चालान की छायाप्रति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है।</p> <p>अतएव प्रकरण में अधिरोपित शास्ति राशि 1,00,000/- जमा किया जा चुका है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया।</p> <p>प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाकर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	